न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या 06/2025 निगरानी पंचायत

1. समन्दर कौर पत्नी कल्यानसिंह
2. छैलबिहारी — पुत्रगण कल्यानसिंह
3. महेन्द्र सिंह — पुत्रगण कल्यानसिंह
4. राधा — पुत्रीयान कल्यानसिंह
5. लक्ष्मी — पुत्रीयान कल्यानसिंह

जाति गूजर निवासी गिलगिलीया पट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. निर्भयसिंह पुत्र रघुवीर जाति गूजर निवासी जुगला पट्टी कालोनी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. ग्राम पंचायत खरैरा पंचायत समिति उच्चैन जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज्य पंचायती अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016 बाबत् पट्टा नियम 157(1) राज0पंचायती राज नियम 1996

उपस्थिति :

1. श्री महाराजसिंह डागुर अभिभाषक प्रार्थी0
2. अप्रार्थी0 2 स्वंय

निर्णय दिनांक : 17.04.2026

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज्य पंचायती अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016 द्वारा जारी पट्टे को निरस्त कराने बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये ग्राम पंचायत खरैरा तहसील उच्चैन द्वारा तहत रिकार्ड उपलब्ध कराया। अप्रार्थी संख्या 01 को पर्याप्त अवसर देते हुये भी नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा याचिका मे कथन किया है कि अप्रार्थी 1 के आवेदन पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 ने 30X50 वर्गफुट भूखण्ड स्थित जुगलापट्टी उच्चैन पंचायत समिति उच्चैन का राज0 पंचायती राज नियमावली 1996 नियम 157(1) के अन्तर्गत आंवटन किये जाने का आदेश दिया गया है। विवादित भूखण्ड निगरानीकर्त्ता के पूर्वजों से प्राप्त हुई है, प्रार्थीगण के बाबा स्व0रघुवीर उसे भूखण्ड एवं अन्य मकानात भूखण्ड स्थित जुगला पट्टी के अकेले स्वामित्व एवं आधिपत्य धारी रहे थे जिनके मरणोपरान्त इस भूमि खण्ड के 1/6 हिस्सा निगरानीकर्त्ता के पिता कल्यानसिंह ने प्राप्त किया और उनसे प्रार्थीगण को प्राप्त हुई तथा शेष 5/6 हिस्सा में उत्तरवादी संख्या 1 व अन्य 4 पुत्र हिस्सेदार रहे है। विवादित भूखण्ड का अभी तक सभी 6 सह काश्तकारो के मध्य विभाजन नही हुआ है और इस भूखण्ड को लेकर अन्य मकान व भूखण्डो के सबंध में विभाजन हेतु नियमित वाद अपील के स्तर पर सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसी भूखण्ड के सबंध में उत्तरवादी संख्या 1 व उसके भाई ने एक दावा नगरपालिका उच्चैन के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसमें कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नही होने के कारण खारिज करा लिया गया। इस प्रकार विवादित भूखण्ड पर उत्तरवादी का कोई अधिकार प्राप्त नही है, उसके हक में किया गया पट्टा गलत है। मान0 सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में राजीनामा देकर उत्तरवादी 01 व उसके अन्य भाईयों ने विवादित भूखण्ड में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा होना स्वीकार किया गया है, इस प्रकार स्वीकृत रूप से विवादित भूखण्ड सम्मलित भूखण्ड है जिस पर एक का ही हक मानना गलत है। पट्टा जारी करने से पूर्व तहत न्यायालय ने निर्धारित प्रकिया का कोई अनुसरण नही किया और न ही नोटिस जारी किये व सुनवाई का मौका नही दिया गया। मौके का अवलोकन नही किया और न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड के सबंध में पारित किया गया है, इसलिए निगरानीकर्त्तागण उक्त आदेश से परिवेदित है इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना के साथ के साथ निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निगरानीकर्त्ता को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 04.8.2025 को उत्तरवादी 2 के बतलाने पर हुई और जांच होने पर नकल हेतु आवेदन किया गया है जिस पर दिनांक 07.08.2025 को नकल प्राप्त हुई और आदेश की वास्तविक जानकारी हुई। जानकारी होने के दिन से यह निगरानी अन्दर अवधि पेश की जा रही है, जिसके लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अन्त में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया गया है कि रिवीजन स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत खरैरा दिनांक 20.12.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत खरैरा ने रिकार्ड प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5& While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants^^

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

^^Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal^^

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते है। इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः याचिका प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज्य पंचायती अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 2012.2016 ग्राम पंचायत खरैरा पंचायत समिति रूपवास के अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी ग्राम पंचायत का पट्टे के सबंध में निगरानी/याचिका पेश की गई है। तहत पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि अप्रार्थी निर्भयसिंह द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 20.8.2016 को खण्डर पैमाइशी 30X50 फुट वाके ग्राम जुगला पट्टी कालोनी उच्चैन तहसील रूपवास का पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया है, आवेदन के साथ में नक्शा ब्लूप्रिंट संलग्न किया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर एवं हरखासो आम का नोटिस जारी कर आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 20.12.2016 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी निगरानीकर्त्ता का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा जो आवासीय भूमि का पट्टा जारी कराया गया है वह भूखण्ड उनके बाबा स्व0 रघुवीर के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूमि है जिस पर निगरानीकर्त्ता के पिता का 1/6 हिस्सा आता है तथा शेष 5/6 हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य 4 पुत्र हिस्सेदार रहे है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा बिना विभाजन कराये उक्त भूखण्ड का पट्टा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के सबंध में विवादित भूखण्ड के विभाजन हेतु नियमित वाद अपील सिविल न्यायालय से भी खारिज किया जा चुका है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में राजीनामा देकर उत्तरवादी संख्या 01 व उसके भाइयो ने विवादित भूखण्ड में निगरानीकर्त्तागण का 1/6 हिस्सा होना स्वीकार किया गया है इससे यह सिद्व होता है कि विवादित भूखण्ड सम्मिलित भूखण्ड है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत खरैरा द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 20.12.2016 के विरूद्व निगरानी पेश की गई है, इस सबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये है। अप्रार्थी स0 1 को दिनांक 20.12.2016 को पट्टा जारी किया गया है, जबकि विवादित भूखण्ड में अन्य भी सह खातेदार है तथा प्रार्थी निगरानीकर्त्ता भी 1/6 हिस्से का हिस्सेदार होना अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त राजीनामे के कथनों को घोषणा पत्र के माध्यम से खारिज किया गया है तदानुसार मान0 न्यायालय ने प्रकरण को खारिज किया गया है, उक्त प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा भूखण्ड पर अपनी सह हिस्सेदार होने की सहमति प्रदान की गई है। इससे सिद्व होता है कि उक्त भूखण्ड शामिलात का है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड का विभाजन भी उभय पक्ष द्वारा नही कराया गया है साथ ही प्रार्थीगण निगरानी कर्त्ता को सुनवाई का मौका नही दिया गया है। इस प्रकार पट्टा बिना सह खातेदार के सहमति/विभाजन के ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है जो आवासीय पट्टा अवैध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन हम यह उचित पाते है कि जब ग्राम पंचायत खरैरा के जारी पट्टा दिनांक 20.12.2016 को बिना प्रार्थीगण की उपस्थिति व उनकी व अप्रार्थी 01 के बिना सहमति/बिना विभाजन के स्वीकृत किया गया है, उक्त पट्टे की कार्यवाही अवैधानिक पाई जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार जब विवादित पट्टा ही शून्य हो गया है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य रहती है।

अतः आज्ञा है कि:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निगरानी प्रार्थी उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार की जाती है तथा विवादित आवंटन/पट्टा दिनांक 20.12.2016 विधि अनुसार जांच में शून्य पाये जाने की दशा में निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास हाल उच्चैन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर,
भरतपुर